



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

Centre for Cultural Resources and Training

(Under aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

सीसीआरटी/क्षेत्र/उदय/1217/01/2019–2020/हि- 1073 से 1099 तक
दिनांक : 03/01/2020

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सीसीआरटी नई दिल्ली, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो की शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों के समावेश एवं संरक्षण के निमित्त देश के सेवारत शिक्षकों/प्राचार्यों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन करता है।

सीसीआरटी, क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर द्वारा वर्ष भर भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों को शिक्षा से जोड़ कर शिक्षण को विकसित करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों के सेवारत शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए विभिन्न विषयों पर लघु (5–10 दिन) एवं दीर्घ कालीन (15–30 दिन) अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें लगभग 50 से 100 तक की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकायें भाग लेते हैं।

इसी क्रम में आप की फर्म के बारे में प्राप्त जानकारियों के आधार पर आपकी फर्म से टेक्सी कार व्यवस्था के लिए संलग्न निर्देश अनुसार दरें आमंत्रित हैं।

कृपया संलग्न शर्तों को ध्यानपूर्वक समझ कर यथाशीघ्र अपनी दर प्रस्तुत करें। आप द्वारा प्रदत्त दर उचित एवं न्यूनतम पायी जाने पर केन्द्र द्वारा पात्रता/अहर्ताओं की पूर्ति उपरान्त कार्यादेश प्रदान कराने हेतु विचार कर सकेंगा।

दिनांक 20/01/2020 को दोपहर 01:00 बजे तक परामर्शक, सीसीआरटी, क्षेत्रीय केन्द्र, 3-बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर पर फर्म के लेटर हेड पर मुहर बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जिन्हें उसी दिन दोपहर 03:30 बजे खोला जायेगा।

संलग्न: व्यवस्था संबंधी शर्तों व निर्देश प्रारूप।

भवदीय

द्वे दूजा मात्रा

(डॉ. के. सत्यनारायण)

परामर्शक

क्षेत्रीय केन्द्र : 3-बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर-313001 राजस्थान, भारत दूरभाष (0294) 2430764 फैक्स: 2430771

Regional Centre: 3-B, Ambavgarh, Udaipur-313001, Rajasthan INDIA Phone: (0294) 2430764 Fax: 2430771

E-mail: crtcud@rediffmail.com Website: www.crtindia.gov.in



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

क्षेत्रीय केन्द्र, 3 बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर उदयपुर (राज0)

फोन नं. 2430764, 2430771

Email: rcud.ccrt@nic.in

सी.सी.आर.टी. के विभिन्न कार्यक्रमों में अनुबंध पर टेक्सी कार उपलब्ध कराने
हेतु मानदण्ड/शर्तों का विवरण।

सी.सी.आर.टी. क्षेत्रीय केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र, 3बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर द्वारा वर्ष पर्यन्त आयोजित किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं राजकीय कार्यों के लिये टेक्सी कार पर अनुमानित व्यय 2,00000/- (दो लाख रुपये) वार्षिक होता है। निम्नलिखित शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार टेक्सी कार (हृच्छाई-एक्सेट/मार्ली-स्वीफ्ट डिजायर/टोयोटा-इटीयोज) रखरखाव युक्त हो उसे अनुबंध हस्ताक्षर करने के दिनांक से 2 वर्ष तक मान्य होगी। कोई भी वाहन तीन साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।


अगर आपकी फर्म के पास उपर्युक्त वाहन उपलब्ध हो तथा आप द्वारा टेक्सी उपलब्ध करायी जा सकती हो तथा इस के लिए आप इच्छुक हों तो इस आशय की सूचना के साथ आप द्वारा निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए किराया दर सी.सी.आर.टी. को भेजी जाने की अपेक्षा है।

- उक्त कार मॉडल का स्पष्ट उल्लेख कर वाहन के पंजीकरण की प्रमाणित निविदा के साथ संलग्न करना होगा। जो निविदा प्राप्ति दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	
1.	4 घण्टे 40 किलोमीटर टेक्सी कार A.C. की दर	
2.	8 घण्टे 80 किलोमीटर टेक्सी कार A.C. की दर	परिशिष्ट - 2 में स्थित सारणी का उल्लेख करें।
3.	अतिरिक्त प्रति किलोमीटर/घण्टा टेक्सी कार A.C. की दर	

- फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों में दी गयी सेवाओं के विषय में विशेष तौर पर न्युनतम 3 सरकारी / गैर सरकारी संगठनों के नाम-पते सहित अनुभवों का विवरण देना अपेक्षित है।

3. न्यूनतम दर समान होने पर नवीनतम मॉडल की उचित गाड़ी देने वाले निविदा दाता को वरियता दी जायेगी।
4. अनुबंध निश्चित होने पर सफल अनुबंधित फर्म से 05 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट के रूप में रु. 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) का बतौर सुरक्षा राशि अनुबंध अवधि समाप्ति तक बिना ब्याज दर के सी.सी.आर.टी. में जमा करानी होगी। जो कि अनुबन्ध समाप्ति के 90 दिन बाद लौटायी जायेगी।
5. दर व प्रति कि.मी. दर में सभी प्रकार के व्यय डीजल/ऑयल, वाहन चालक के वेतन भत्ते तथा वाहन मरम्मत आदि का दायित्व निविदा दाता का ही होगा। दी गई दर के अतिरिक्त पृथक से कोई व्यय देय नहीं होगा।
6. मुख्यालय पर वाहन खराब होने की स्थिति में अविलम्ब दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। मुख्यालय के बाहर यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन का समस्त खर्च निविदातदाता का ही होगा।
7. वाहन में किसी प्रकार की क्षति, दुर्घटना, चालान आदि का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का ही होगा।
8. टेक्सी ड्राईवर साफ एवं स्वच्छ युनिफोर्म में होना चाहिए तथा उसका व्यवहार यात्रा कर रहे अधिकारी/कर्मचारी के साथ विनम्रतापूर्वक होना चाहिए।
9. निदेशक, सी.सी.आर.टी. को बिना किसी कारण का उल्लेख किये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. निविदा में दी गई दरें अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के दिनांक के पश्चात से 2 वर्ष तक मान्य होगी।
11. किसी भी प्रकार के विवाद के न्यायिक निपटान के लिए उदयपुर स्थित सेशन न्यायालय का कार्यक्षेत्र रहेगा।
12. निविदा दाता को किसी कर्मचारी का मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा जो की टेक्सी वाहन बुकिंग की जिम्मेवारी लेगा तथा टेक्सी व ड्राईवर का नम्बर को सीसीआरटी के संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के मोबाइल फोन पर मेसेज करेगा। 01 घण्टे से ज्यादा की देरी पर टेक्सी कार के पंहुचने पर पेनाल्टी के रूप में 0.5 से 5 प्रतिशत तक की राशि बिल में से काट दी जायेगी।
13. निविदा का लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा लिफाफे पर “टेक्सी कार हेतु निविदा” स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।



(परामर्शक)



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
क्षेत्रीय केन्द्र, 3 बी, अम्बावगड़, स्वरूपसागर उदयपुर (राज0)
फोन नं. 2430764, 2430771

Email: rcud.ccrt@nic.in

टेक्सी किराये की निविदा प्रारूप

नोट:- (नमूना प्रति जो कि फर्म द्वारा अपने लेटर पेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के दिनांक से 2 वर्ष तक के लिए निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विवरण	हुन्डाई-एक्सेट / मारुती-स्वीफ्ट डिजायर / टोयोटा-इटीयोज के किराये की दर
1.	4 घण्टे 40 किलोमीटर टेक्सी कार A.C. की दर	
2.	8 घण्टे 80 किलोमीटर टेक्सी कार A.C. की दर	
3.	अतिरिक्त प्रति किलोमीटर/घण्टा टेक्सी कार A.C. की दर	

घोषणा :

मैंने सी.सी.आर.टी. द्वारा दी गई सभी सम्बन्धित शर्तों का अवलोकन किया है उनसे मैं
सहमत हूँ साथ ही मेरी कार का उक्त दिनांक को मॉडल तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है
उसको उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर मय सील
वाहन मालिक/पार्टनर